



## ANNEXURE 1.1

### उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966

#### 1-संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ-

- (i) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 कहलायेगी और समस्त निगमों, नगरपालिका/परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।
- (ii) यह नियमावली गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होगी।

#### 2 -परिभाषायें-

यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस नियमावली में :

उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा

नगर पालिका परिषदों के सहायक पशु चिकित्सक  
(श्रेणी-एक/दो)

उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा

(एक) श्रेणी-एक की नगरपालिका परिषदों के सिविल  
अभियन्ता  
(दो) श्रेणी-दो की नगरपालिका परिषदों के सिविल  
अभियन्ता (अर्ह)

उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ) सेवा

(एक) श्रेणी-दो की नगरपालिका परिषदों के सिविल  
अभियन्ता (अर्ह)  
(दो) नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अवर  
अभियन्ता सिविल विद्युत और यांत्रिक (अर्ह)

उत्तर प्रदेश पालिका तरूपालन (अधीनस्थ) सेवा

नगर पालिका परिषदों के उद्यान एवं बाग अधीक्षक

उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा

श्रेणी-एक की नगरपालिका परिषदों के लेखाकार

उत्तर प्रदेश पालिका लिपिक वर्गीय सेवा

(एक) श्रेणी-एक की नगरपालिका परिषदों के कार्यालय  
अधीक्षक और प्रधान लिपिक  
(दो) श्रेणी-दो की नगरपालिका परिषदों के अनुभागीय/  
विभागीय प्रधान लिपिक  
(तीन) श्रेणी-दो की नगरपालिका परिषदों के प्रधान

### 3- केन्द्रीयित सेवाओं का बनाया जाना-

निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे-

(i) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा

(एक) नगर निगमों के उप नगराधिकारी।

(दो) नगर निगमों के सहायक नगराधिकारी।

(तीन) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

(चार) श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

(पांच) नगर निगम, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।

(ii) उत्तर प्रदेश पालिका प्राशासनिक (अधीनस्थ) सेवा

(एक) श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

(दो) श्रेणी-चार की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

(तीन) नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।

(iii) उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा